राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1719/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–II, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हैंज इण्डिया प्रा0लि0,
375, आदर्श नगर, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री मोती कोटवानी,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 170/अपील्स–III/2011–12/ई में पारित आदेश दिनांक 22.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–II, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.1999 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 78(5) एवं सपठित धारा 100 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 2,21,706/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.1999 को वाहन संख्या RNN-6212 जोधपुर के लिये परिवहनित करते समय चैक किया गया। वाहन में लदे माल सम्बन्धित दस्तावेजात चाहन चालक/माल प्रभारी से मांगे जाने पर वांछित दस्तावेज प्रस्तत किये गये, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई, दस्तावेज जो जांच पर पाया गया कि वाहन संख्या तथा बिल संख्या अलग स्याही से एवं किराये का कोई विवरण नहीं लिखा गया है। बिल व बिल्टी की तारीखों में अन्तर होने के कारण बिल व बिल्टी कहीं पर भी समानता नहीं दर्शाते है। इस कारण से सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाई को नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा बैच नम्बर का मिलान न होने के कारण शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। परिवहनित किये जा रहे माल पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल के साथ समस्त दस्तावेज मौजूद थे। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही बैच नम्बर का मिलान न होने के कारण शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो वैधानिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज माल, माल की मात्रा, क्रेता–विक्रेता के बिल आदि सभी मौजूद थे। प्रत्यर्थी की कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी। सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया। अपने कथन के समर्थन में [2016] 95 VST 419 (AII) Hindustan coca cola vs. Commisioner उक्त न्यायिक निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के भौतिक सत्यापन पर पाया कि माल पर अंकित बैच नं. का मिलान बिल में अंकित बैच नं. से किये जाने पर पाया कि अलग–अलग बैच नं. है। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति का आधार बैच नं. मिलान न होने को बनाया गया है, जो कि अनुचित है। जबकि माल, माल की मात्रा, क्रेता–विक्रेता, बिल आदि सभी मौजूद थे। सशक्त अधिकारी द्वारा विधिक जांच के आधार पर व्यवहारी इन्हें मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है। मजदूरों द्वारा परिवहनित माल भरते समय बैंच में उलट–पुलट होना तकनीकी त्रुटि है और व्यापारिक परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है। व्यवहारी द्वारा न तो कर चोरी की गई है, न ही कर चोरी की मंशा रही है बल्कि शास्ति से संबंधित संव्यवहार के बिल का बेचान किये गये माल पर कर संग्रहित है जो समय पर राजकोष में जमा कराया जा चुका है। चूंकि धारा 78(2)(a) के प्रावधान के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा जांच करने पर समस्त दस्तावेज यथा बिल–बिल्टी मौजूद थे तथा इनकी जांच कर, कर निर्धारण अधिकारी ने इन्हें मिथ्या, कूटरचित एवं बोगस प्रमाणित नहीं किया। अतः परिवहनित माल पर अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन मानकर धारा 78(5) के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है, वह अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य